

**न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-879 / 2014

संस्थित दिनांक-24.09.2014

फाई. क्र.234503011872014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. मांगू पिता मेहतर, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,
  2. मनोज पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष, जाति गोंड,
  3. दीपक पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष, जाति गोंड,
- सभी निवासी ग्राम थुरेमेटा थाना बिरसा जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 24/04/2018 को घोषित)**

**01—** उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण पर दिनांक 26.08.2014 को शाम के 06:00 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में हरेसिंह के घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी दिलीप राज उइके को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिलीप राज उइके जो लोकसेवक कर्मचारी की हैसियत से अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के साथ लाठी एवं कुल्हाड़ी के बेसे तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने, दिलीपराज उइके जो बीजाटोला बीट में वनपाल के पद पर पदस्थ होकर लोकसेवक है और लोकसेवक होने के नाते जब वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था तो उसको उसके कर्तव्य से निवारित/भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने, फरियादी दिलीपराज उइके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दिलीप राज उइके के शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालने, इस प्रकार धारा-294, 332/34, 353, 506 भाग-दो एवं

186 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

**02—** प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

**03—** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी दिलीप राज दिनांक 26.08.14 को करीब 04:00 बजे रेंजर मिश्रा के साथ बीट भ्रमण पर बिठली, बीजाटोला, डोंगरिया गये हुए थे, जिसके पश्चात फरियादी अपने बीट डोंगरिया जाकर चौकीदार हरेसिंह के साथ गश्त कर रहा था, तभी सूचना प्राप्त हुई कि मांगू और उसके परिवार वाले जंगल काटने का अवैध कार्य करते हैं तब सूचना पर वह आरोपी के घर के सामने करीब 06:00 बजे थुरेमेटा पहुँचा। मांगू सामने उपस्थित मिला उसे हिदायत दिया की जंगल में अवैध कटाई न करें तो मांगू घर चला गया और फरियादी डोंगरिया आ गया। इसके पश्चात आरोपी मांगू अपने लड़कों के साथ डोंगरिया जाकर फरियादी से कहा कि मादरचोद तू कौन होता है रोकने वाला और हाथ में रखी लाठी से और उसके लड़के मनोज ने कुल्हाड़ी के बेसे से व दीपक ने लकड़ी से गोलू ने हाथ-मुक्के से एकराय होकर फरियादी दिलीपराज से मारपीट किये और उसके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किये। घटना के दौरान गांव के रामलाल, परसराम, ताराबाई ने बीच-बचाव किये थे, तभी बीच-बचाव के दौरान परसराम को चोट लगी थी। आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना के उपरांत फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की थी, जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र-108/14 धारा-294, 186, 332/34, 353, 506 भाग-दो भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपचारी बालक आरोपी गोलू के विरुद्ध किशोर न्यायालय बालाघाट में पृथक से चालान पेश करने बताया गया है।

**04—** आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। आरोपीगण ने अपने बचाव में साक्षी बेनीराम की साक्ष्य प्रस्तुत की है।

**05—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 26.08.2014 को शाम के 06:00 बजे ग्राम डोंगरिया हरेसिंह के घर के सामने थाना बिरसा के अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी दिलीप राज उइके को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिलीप राज उइके जो लोकसेवक कर्मचारी की हैसियत से अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था के साथ लाठी एवं कुल्हाड़ी के बेसे तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दिलीपराज उइके जो बीजाटोला बीट में वनपाल के पद पर पदस्थ होकर लोक सेवक है और लोक सेवक होने के नाते जब वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था तो उसको उसके कर्तव्य से निवारित/भयोपरित करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न किया ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दिलीपराज उइके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

5. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दिलीपराज उइके के शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाला ?

**:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01**

06— दिलीप राज अ.सा.02 ने बताया है कि आरोपी उसे मादरचोद की गाली दे रहा था, किन्तु गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में कोई कथन नहीं किया है। रूपराम अ.सा.03 ने बताया है कि उसे दिलीप ने आरोपीगण द्वारा गाली देने की बात बताया था। रामलाल अ.सा.04, ताराबाई अ.सा.05 ने गाली-गलौच के बारे में कोई कथन नहीं दिये हैं। हरेसिंह अ.सा.06 तथा परसराम अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपीगण माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दिये थे, किन्तु आरोपीगण कौन-कौन सी गंदी गालियाँ दिये थे और गाली सुनकर क्षोभ कारित किये जाने के बारे में नहीं बताया है।

07— धारा-292 भा0द0वि0 में अश्लीलता को बताया गया है जिसके अनुसार कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रंगचित्र, रेखाचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्धीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसका या, जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां उसकी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाये जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है।

08— सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अनिवार्य संघटकों में से एक है। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है। जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है तथा जिनके कानों में ये शब्द पड़ सकते हैं पद

अश्लीलता का उपयोग लैंगिक दुराचार तक निर्बन्धित है। अतः शब्द ऐसे होने से जिनसे यौन इच्छायें और कामुक विचार उत्तेजित हों। केवल कामुक टिप्पड़ियाँ अश्लील कही जा सकती हैं।

**09— न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध म0प्र0 राज्य, 1989 एम0पी0एल0जे0 657** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गालियों को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है। जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। व्यक्ति की क्रुद्ध मानसिक अवस्था व्यक्त करने वाले मात्र सामान्योक्तियाँ भा0दं0सं0 की धारा-294 के उपबंध आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अशिष्ट गालियों मात्र से धारा-294 भा.दं.वि. के अधीन अपराध गठित नहीं होता। अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि आरोपीगण द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे, किंतु फरियादी दिलीप राज अ.सा.02 एवं साक्षियों ने भी यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे। आहत एवं साक्षियों ने यह भी नहीं बताया है कि गालियाँ सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। फलतः उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी को लोकस्थान में अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था। उक्त संबंध में **न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152** अवलोकनीय है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02, 03 एवं 05**

**10—** साक्षी नरेन्द्र कुमार मिश्रा अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। आहत दिलीप राज उइके वनपाल के पद पर उसके अधीनस्थ डोंगरिया बीट में पदस्थ था। उसके साथ दिलीप राज उइके दिनांक 26.08.14 को कार्य पर उपस्थित था। प्रवास के पश्चात उसने दिलीप को डोंगरिया छोड़ दिया था। उसे आहत दिलीप राज उइके ने फोन करके बताया था



कि आरोपी मांगू एवं उसके लड़के ने उसके साथ मारपीट की है। उसने आहत दिलीप राज के कार्य में उपस्थित होने का प्रमाण पत्र प्रपी-01 पुलिस को दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11- दिलीप राज अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 26.08.2014 को शाम के 06:00 बजे ग्राम डुंगरिया की है। वह मिश्रा साहब के साथ ग्राम डुंगरिया, बीजाटोला बीट पर भ्रमण पर गया था। उसके उपरांत रेंजर साहब मिश्राजी वापस आ गये थे, वह डुंगरिया में चौकीदार हरिसिंह के साथ में था और अपना कार्य कर रहा था। उसे आरोपी मांगू ने जंगल में क्यों घुस रहे हो और लकड़ी काटने से क्यों मना करते हो कहा, जिसके पश्चात आरोपी मांगू के लड़के मनोज ने कुल्हाड़ी के बेसे और दीपक ने लकड़ी से मारपीट किया और गोलू ने हाथ-मुक्कों से मारपीट किया, तभी रामलाल, और तारनबाई, परसराम ने आकर बीच-बचाव किये थे तो बीच-बचाव करने से परसराम को हाथ में चोट आयी थी। घटना के संबंध में उसने अपने परिक्षेत्र सहायक अधिकारी मंडई को सूचना दी थी। सूचना देने के उपरान्त वह डिप्टी साहब के साथ जाकर थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराया था। थाना प्रभारी बिरसा को एक लिखित आवेदन प्रपी-02 दिया था, जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-03 पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने उसके चोटों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में कराया था। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशानदेही पर मौकानक्शा प्रपी-04 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर बताया कि जिस समय रेंजर के साथ भ्रमण हेतु बीजाटोला गया था, उस समय वह अपनी ड्यूटी पर था, मांगू और उसके परिवारवाले जंगल में अवैध कटाई कर रहे थे इस सूचना पर वह रेंजर साहब के साथ जंगल गया था, वह लोग थुरामेटा का जंगल होते हुए पहुँचे थे, तब वहाँ पर मांगू खड़ा हुआ था, तब उसने समझाया कि अवैध रूप से जंगल की कटाई क्यों कर रहे हो।

**12—** साक्षी राजधर दुबे अ.सा.08 ने बताया है कि वह वर्ष 2014 में थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक 26.08.2014 को 6:00 बजे प्रार्थी दिलीप उइके वनपाल बीजाटोला ने थाना बिरसा के अंतर्गत एक लिखित आवेदन दिनांक 26.08.2014 इस आशय का लाकर पेश किया कि शासकीय कार्य के दौरान लकड़ी काटने पर मना करने पर आरोपी मांहगु, मनोज तथा दीपक ने शासकीय कार्य में व्यवधान कर मारपीट कर चोट पहुँचाया, तब उसने अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 26.08.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध किया था।

**13—** साक्षी रूपराम मेश्राम अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। वह फरियादी दिलीपराज को जानता है। उसे घटना के बारे में दिलीप राज ने बताया था कि घटना दिनांक 26.08.2014 को शाम के 06:00 बजे ग्राम डुंगरिया में आरोपी मांगू और उसके लड़कों ने उसके साथ मारपीट की है उसने दिलीप के चोटों के निशान देखा था वह अपनी ड्यूटी से वापस आया था। घटना की पूरी बात बताने के बाद वह फिर उसके साथ रिपोर्ट लिखाने गया था। उसने मुख्यपरीक्षण में जो बात लिखी है कि और उसने जो बातें बताया है वहीं बयान उसके पुलिस बयान में है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि उसे दिलीप राज ने घटना के संबंध में यह भी बताया कि वह शासकीय कार्य से ड्यूटी पर था तो आरोपीगण ने बाधा उत्पन्न की थी। उसे यह भी बताया था कि आरोपीगण को उसके द्वारा समझाया गया है फिर भी जंगल में अवैध रूप से लकड़ी कटाई कर रहे थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-05 पुलिस को देना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है।

**14—** साक्षी रामलाल अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व शाम के 06:00 बजे की है। वह

हरेसिंह के घर के पास खड़ा था, तब उसे जानकारी लगी कि दिलीप राज और आरोपी मांगु के बीच में विवाद हुआ था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि वह हरेसिंह के घर के पास खड़ा था। फरियादी दिलीप राज आरोपी मांगु को समझा रहा था कि जंगल की अवैध कटाई मत करो उसने इतना ही सुना था। इसके बाद आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की होगी तो उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने इन सुझावों से इंकार किया है कि आरोपीगण ने लकड़ी, हाथ-मुक्कों तथा कुल्हाड़ी के बेसे से मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-06 पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सब कुछ शांत होने के बाद वह गया था। उसने घटना नहीं देखा था। इस प्रकार यह साक्षी भी घटना का अनुश्रुत साक्षी है।

**15-** साक्षी ताराबाई अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी मांगू को पहचानती है एवं अन्य आरोपीगण को नहीं जानती है। वह फरियादी दिलीप राज वनपाल को जानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने कटाई की बात को लेकर फरियादी दिलीप राज के साथ मारपीट की थी। इस साक्षी ने पुलिस को पुलिस कथन प्रपी-07 देने से भी इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी थी और ना ही उसे जानकारी है। इस प्रकार यह साक्षी घटना की अनुश्रुत साक्षी है और इसने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

**16-** साक्षी हरेसिंह अ.सा.06 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब दो वर्ष पूर्व शाम के चार बजे उसके ग्राम डुंगरिया स्थित घर के पास की है। आरोपीगण और वनपाल दिलीप के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसमें उसने बीच-बचाव किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये



थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 26.08.14 शाम 06:00 बजे की है, घटना के समय फरियादी दिलीप राज वनपाल ने अवैध कटाई के संबंध में आरोपी मांगू और उसके लड़कों को मना किया था, उसे ध्यान नहीं है कि मांगू ने दिलीप को लकड़ी से पीठ पर मारा था। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि मनोज ने कुल्हाड़ी के बेसे और गोलू ने हाथ मुक्कों से मारपीट की थी।

**17-** साक्षी परसराम अ.सा.07 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष पोला के समय की ग्राम डोंगरिया में शाम के पौने चार बजे की है। प्रार्थी दिलीपराज व आरोपीगण के मध्य झगड़ा हो रहा था, जिसमें उसने बीच-बचाव किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना के समय प्रार्थी दिलीप राज द्वारा आरोपी महंगू एवं उसके लड़कों को अवैध लकड़ी काटने से मना किया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी महंगू ने दिलीप राज की पीठ पर लकड़ी से मारा था, मनोज ने कुल्हाड़ी के बेसे से एवं गोलू ने हाथ मुक्कों से मारपीट की थी।

**18-** दिलीप राज अ.सा.02 ने बताया है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। राजधर दुबे अ.सा.07 ने यह भी बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के पश्चात उसने आहत दिलीप का मेडिकल परीक्षण कराया था। दिलीप राज के द्वारा बताये गये चोटों की पुष्टि करते हुए डॉ० एम.मेश्राम अ.सा. 08 ने बताया है कि वह दिनांक 26.08.2014 को सी.एच.सी बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक सुग्रीव क्रमांक 1050 द्वारा आहत दिलीप राज को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। आहत के गर्दन के निचले भाग से लेकर पीठ के मध्य भाग तक एक कंट्यूजन जो कि रेल के पातों जैसे समानांतर था, जिसका आकार आठ इंच गुणा डेढ़ इंच का था। उसके मतानुसार

उक्त चोट किसी लिनियर ऑब्जेक्ट जैसे लाठी आदि के प्रहार से आना प्रतीत होती थी। चोट साधारण प्रकृति की थी तथा उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी, जिसे ठीक होने में 3 से 5 दिन का समय लग सकता था। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.14 है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि चोट स्वयं के द्वारा निर्मित की जा सकती है। इससे भी इंकार किया है कि उक्त चोट गिरने से आ सकती है। आहत दिलीप राज को चोट स्वयं के द्वारा पहुँचाये जाने के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है तथा दिलीप ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि नशे की हालत में छीना-झपटी में गिरने से उसे चोट आई। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी के दिये गये सुझाव से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

**19—** राजधर दुबे अ.सा.07 ने बताया है कि उसने प्रार्थी की निशादेही पर दिनांक 27.08.2014 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.04 मौके पर जाकर तैयार किया था। उसी दिनांक को उसने प्रार्थी दिलीप, गवाह परसराम, हरेसिंह तथा दिनांक 28.08.2014 को रामलाल, दिनांक 31.08.2014 को गवाह ताराबाई, दिनांक 04.09.2014 को गवाह नरेन्द्र मिश्रा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 03.09.2014 को उसके द्वारा आरोपी मांहगु से गवाह शंकरलाल और मेहतर के समक्ष एक पुरानी लकड़ी 38 इंच लंबी तथा गोलाई 04 इंच जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी मनोज से थुर्रेमेटा में उक्त गवाहों के समक्ष ही कुल्हाड़ी का बेसा लंबाई 26 इंच तथा गोलाई 18 इंच का जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी दीपक से ग्राम थुर्रेमेटा में उक्त गवाहों के समक्ष एक पुरानी धावड़े की लकड़ी लंबाई 20 इंच गोलाई 12 इंच जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपीगण मनोज, मांहगु तथा दीपक को धारा-41(1) द.प्र.सं. का नोटिस उपरोक्त गवाहों के समक्ष दिया था, जो प्र.पी.11 से लगायत प्र.पी.13 है। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**20—** बचाव साक्षी बेनीराम अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिलीपराज उइके को भी जानता है, वह उनके बीट में वनरक्षक था। अगस्त 2014 की बात है वह तथा आरोपी मांगु साथ में ग्राम डोंगरिया बैल खरीदने के लिये सायकिल से जा रहे थे। वह तथा आरोपी मांगु हरेसिंह के घर गये जो उस समय जंगल में चपरासी था, जैसे ही हरेसिंह के घर के पास गये हरेसिंह रोड पर खड़ा था, तब आरोपी और हरेसिंह की आपस में बातचीत हो रही थी, वह सायकिल लेकर किनारे पर खड़ा था। उसी समय दिलीपराज उइके हरेसिंह के घर से निकला और आरोपी मांगु को हाथ से दो झापड़ मार दिया। उस समय उसने तथा गांव वालों ने बीच-बचाव किये थे। आरोपीगण के द्वारा दिलीपराज उइके से कोई मारपीट नहीं की गई थी। आरोपी को दिलीपराज सिंह ने ही मारपीट किया था। उसके बाद उन लोगों ने आरोपी को साथ लेकर अपने-अपने घर चले गये। बस वह इतना ही जानता है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि आरोपीगण ने फरियादी दिलीप राज से मारपीट की थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी मांगु, मनोज तथा दीपक को सजा न हो यह चाहता है, जिससे यह प्रकट होता है कि यह साक्षी हितबद्ध साक्षी है तथा मारपीट के संबंध में आरोपी मांगु ने स्वयं कोई रिपोर्ट नहीं की है और साक्षी दिलीप राज ने इससे इंकार किया है कि उसने शराब पीकर आरोपीगण को गाली-गुफ्तार की थी और आरोपी मांगु को झापड़ मारा था, जिससे बचाव साक्षी का कथन विश्वसनीय नहीं है।

**21—** धारा-332, 353, 186 भा.द.वि. के लिये अभियोजन को यह प्रमाणित करना होगा कि घटना के समय फरियादी लोकसेवक के रूप में लोक कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था और उसमें बाधा कारित करने के लिये मारपीट की गई और लोकसेवक के लोक कर्त्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुआ। नरेन्द्र मिश्रा अ.सा. 01 ने बताया कि उसने आहत दिलीप के कार्य में उपस्थिति के संबंध में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्र.पी.01 दिया था, किन्तु प्र.पी.01 के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवास के उपरांत दिलीप राज उइके को नरेन्द्र मिश्रा ने शाम 4:00 बजे डोंगरिया बीट में छोड़ दिया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के अनुसार घटना शाम

6:00 बजे की है। स्वयं फरियादी दिलीप ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वे लोग गश्ती के लिये जंगल गये थे, उस समय आरोपीगण से उनका कोई विवाद नहीं हुआ था। रेंजर के साथ भ्रमण पर गया था, उस समय वह ड्यूटी पर था। शाम को 6:00 बजे वह डोंगरिया आ गया था तथा घटना भी शाम को 6:00 बजे की है और प्रतिपरीक्षण में फरियादी दिलीप ने यह भी स्वीकार किया है कि शासकीय कार्य करने के पश्चात वह अपने घर के सामने खड़ा था तथा यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उस समय वह कोई शासकीय कार्य नहीं कर रहा था। रूपराम मेश्राम अ.सा.03 वनपाल ने भी बताया है कि उसे फरियादी दिलीप ने जंगल में विवाद नहीं होना बताया था तथा घर के सामने खड़े रहने पर कार्य का समय नहीं होता है। साक्षी रामलाल अ.सा.0.04 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दिलीप राज कोई शासकीय कार्य नहीं कर रहा था। घटना के समय शाम 6:00 बजे फरियादी दिलीप राज कोई शासकीय कर्तव्य कर रहा था, इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उक्त साक्षियों के कथन से घटना के समय फरियादी दिलीप राज कोई शासकीय कर्तव्य का निर्वहन किया जाना एवं उक्त कर्तव्य के निर्वहन में बाधा कारित किया जाना भी प्रमाणित नहीं है।

**22—** किन्तु प्रकरण में यह भी विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी दिलीप राज से मारपीट की गई थी। दिलीप राज अ.सा.02 ने यह स्पष्ट बताया है कि उसने आरोपीगण को लकड़ी काटने से मना किया था और समझाया था, इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसके साथ लकड़ी एवं कुल्हाड़ी के बेसे से मारपीट की थी तथा प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपीगण को शराब पीकर गाली-गुफ्तार की थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था। इससे भी इंकार किया है कि मांगु को एक झापड़ मारा था और उससे बचने के लिए उसने आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट की है। फरियादी के अनुसार घटना हरेसिंह के घर के सामने हुआ था तथा हरेसिंह अ.सा.06 ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आरोपीगण एवं वनपाल के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने



बीच-बचाव किया था तथा प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि आरोपीगण के पास लकड़ी एवं कुल्हाड़ी का बेसा था तथा इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी। परसराम अ.सा.07 ने भी बताया है कि दिलीप और आरोपीगण के मध्य झगड़ा हुआ था, तब उसने बीच-बचाव की थी। दिलीप राज के पीठ पर लकड़ी से मारपीट किये थे तथा प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मांगु ने दिलीप राज को मारा था। इस प्रकार आहत व साक्षियों ने आरोपीगण द्वारा दिलीप के साथ लाठी से मारपीट करना बताया है। आहत की चोट को डॉ० एम० मेश्राम ने भी प्रमाणित किया है और आहत की पीठ पर एक कंट्यूजन होना बताया है। आहत की चोट चिकित्सक साक्षी के कथन और मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी. 14 से भी प्रमाणित है। आहत दिलीप एवं साक्षियों के कथन में कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है, जिससे मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है एवं आहत साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2005 (2) जे.एल.जे. 403 अवलोकनीय है।

**23—** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी दिलीप राज के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपीगण ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट की घटना स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04**

**24—** दिलीप राज अ.सा.—02 ने बताया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दिया था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है। घटना के बाद

उसका ग्राम थुरामेटा जाना होता है तथा आरोपीगण का भी ग्राम डुंगरिया आना-जाना होता है, किन्तु आरोपीगण से उनका कोई विवाद नहीं हुआ। साक्षी रूपराम अ.सा.03, रामलाल अ.सा.04, ताराबाई अ.सा.05 ने आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, जबकि हरेराम अ.सा.06 ने बताया है कि आरोपीगण फरियादी दिलीप को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी एवं साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा दिये गये धमकी को सुनकर भयभीत होने या जान का भय पैदा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। आरोपीगण ने धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिये पश्चात्पूर्ती कोई घटना की हो ऐसा भी नहीं बताया है। फलतः आरोपीगण द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास किये जाने की घटना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

**25—** उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 26.08.2014 को शाम के 06:00 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में हरेसिंह के घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी दिलीप राज उइके को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिलीप राज उइके जो लोकसेवक कर्मचारी की हैसियत से अपने लोक कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के साथ लाठी एवं कुल्हाड़ी के बेसे तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, दिलीपराज उइके जो बीजाटोला बीट में वनपाल के पद पर पदस्थ होकर लोकसेवक है और लोकसेवक होने के नाते जब वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा था तो उसको उसके कर्त्तव्य से निवारित/भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल

का प्रयोग कर उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न किया, फरियादी दिलीपराज उइके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दिलीपराज उइके के शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाला। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 332, 353, 506 (भाग-2) एवं 186 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। जहाँ परिवादी घटना के समय लोक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था ऐसा साक्ष्य नहीं है, वहाँ धारा-332 के अधीन दोषसिद्धि न करके धारा-323, 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत दोषसिद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत हुकुमचंद एवं अन्य वि० स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 1989 क.क्रि.ज. एन.ओ.सी.11 अवलोकनीय है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपीगण को धारा-323, 34 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

#### पुनःश्च-

26- दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपीगण उपस्थित होते रहे हैं। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2014 से लंबित है। आहत की चोंट भी साधारण प्रकृति की होकर एक कंट्यूजन

मात्र है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यक्तिक म में सजा
01.	मांगू पिता मेहतर, उम्र-50 वर्ष	323, 34 भा0दं0वि0	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	1,000 / - रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
02	मनोज पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष	323, 34 भा0दं0वि0	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	1,000 / - रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
03	दीपक पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष	323, 34 भा0दं0वि0	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	1,000 / - रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

**27-** आरोपीगण के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किये जाते हैं। आरोपीगण जमानत पर हैं। आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगतान हेतु जेल भेजा जावे।

**28-** आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं।

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / सूचना का दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा की कुल अवधि
मांगू पिता मेहतर, उम्र-50 वर्ष	03.09.2014	निरंक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक
मनोज पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष	03.09.2014	निरंक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक
दीपक पिता मांगू, उम्र 25 वर्ष	03.09.2014	निरंक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक	दिनांक 13.10.2014 से दिनांक 28.10.2014 तक



**29—** आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की राशि 3,000/-रुपये (अंकन में तीन हजार रुपये) आहत दिलीप राज पिता मोहनलाल उइके, उम्र-45 वर्ष, निवासी सामान्य वन विभाग नाका बीजाटोला जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर दिया जावे।

**30—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो लकड़ी तथा एक कुल्हाड़ी का बेसा अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से अपील न होने पर नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”।

सही/-  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/-  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)